न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी– विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–34/2020 (2020/00350) दर्ज दिनांक 11.08.2020

प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

शीर्षक

श्रीमती राधा देवी पत्नि रामनिवास जीनगर निवासी गांगपुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थीया

बनाम

1. दुर्गा देवी पुत्री श्री गजानन्द ब्राह्मण निवासी पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, सहाड़ा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

––––––विपक्षीगण

उपस्थिति अधिवक्ता प्रार्थीया : श्री एस0के0जैन
अधिवक्ता विपक्षीया : श्री मुकेश चौधरी
पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम ::

दिनांकः–22.01.2021

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए R.T.A. का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद पोटलां पटवार हल्का पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के आराजी नं0 669 रकबा 0.46 हे0 भूमि स्थित है। जो प्रार्थीया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसके लिए नकल जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।

उक्त वर्णित आराजियात में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता राज्यमार्ग सड़क आराजी संख्या 671/1 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 671/2 रकबा 0.1788 हे0 की उत्तरी मेड़ से होकर अपनी अराजी संख्या 669 में प्रार्थीया आती जाती है, जिसे राजस्व नक्शे में लाईन से दर्शा रखा है। जिससे प्रार्थीया अपने [illegible], [illegible] इत्यादि काफी समय से लाती ले जाती आ रही है। अतः प्रार्थीया [illegible] हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.22 16:35:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रार्थीया की उक्त आराजी में आने जाने का एकमात्र सरल सुगम रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है, लेकिन विपक्षीया संख्या 01 की नियत में फितुर पैदा होने व प्रार्थीया की आराजी को हड़प करने की गरज से आये दिन रास्ते में अवरोध पैदा करने लग गयी। जबकि विपक्षी संख्या 01 को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। यह है कि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त रास्ता बाबत् मौके से रिपार्ट तलब फरमायी जाकर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है साथ ही विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि उक्त रास्ते से अवरोध पैदा नहीं करें।

यह है कि प्रार्थीया ने उपरोक्त खातेदार से आपसी सहमति के आधार पर रास्ता लेने का प्रयास किया, परन्तु प्रार्थीया अपने इस प्रयास में सफल नहीं हो पायी जिससे उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थीया को यह प्रार्थनापत्र पेश करने की नौबत पेश आयी है।

प्रार्थीया ने प्रा. पत्र में रिलीफ चाही है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर सरहद पोटला पटवार हल्का पोटला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पोटलां तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में प्रार्थीया की आराजी नम्बर 669 में आने जोने हेतु एकमात्र रास्ता राज्यमार्ग सड़क आराजी नं0 671/1 से होकर विपक्षी संख्या 01 की आराजी सख्या 671/2 की उत्तरी मेड़ से होकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजी नं0 669 में आता जाता है अतः 15 फीट की चौड़ाई का नया रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावे एवं उक्त कायम किये गये नये रास्ते को राजस्व रेकार्ड (नक्शे) मे दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावे तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि का भुगतान करने के लिए प्रार्थीया सदैव तैयार है।

प्रा. पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.08.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र को बेबुनियाद तथ्यो एवं आराजी संख्या 670 से दुरभी संन्धी करके प्रस्तुत करने एवं उक्त आराजियात का काश्तकार उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं होनेसे एवं झूठे तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार सहाड़ा को प्रकरण में मौका निरीक्षण करवाया जाकर मौका रिपोर्ट दिनांक 14.12.2020 को प्रस्तुत की जिसे शामिल मिसल किया गया।

मौका पर्चा अनुसारः–

यह कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम पोटलां के आराजी संख्या 671/2 रकबा 0.1788 हे0 में से रास्ता चाहा गया है जिसमें पगडंडीनुमा रास्ता बना हुआ है।
यह कि मौके पर उक्त रास्ता बंद है।
यह कि मौके पर उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई लघुत्तम व समीपस्थ रास्ता नहीं है।
यह कि उक्त रास्ता बंद होने से वर्तमान में प्रार्थी की आराजी नं0 669 रकबा 0.46 हे0 भूमि पड़त पड़ी हुई है।
यह कि उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 671/2 रकबा [illegible] में से 0.0050 हे0 भूमि प्रभावित होती है, उक्त भूमि एचएच 758 सड़क पर स्थित है [illegible] में एनएच पर 0 से 100 मीटर तक की भूमि की वर्तमान डी0एल0सी0 दर [illegible] प्रति हे0 निर्धारित है जिसके अनुसार रास्ते हेतु प्रस्तावित 0.0050 हे0 भूमि [illegible] 43418/– रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 86836/– रूपये होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.22 16:35:11 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

न्यायालय

प्रकरण संख्या :–34 / 2020 (2020 / 00350)
प्रा.पत्र अन्तर्गत 251 ए आरटीए

यह कि प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। यह कि उक्त रास्ते के अतिरिक्त मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।

वर वक्त सुनवाई प्रार्थीया एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम में सुना गया। प्रार्थीया के अधिवक्ता ने प्रा. पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं पूर्व से ही पगडंडी नुमा रास्ता बना हुआ है एवं रिलिफ अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया। तथा विपक्षी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब को दोहराते हुए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।

मैनें पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा प्रार्थीया एवं विपक्षीया अधिवक्ता की बहस एवं तहसीलदार सहाड़ा की रिपार्ट व वक्त सुनवाई बताये गये तथ्यों पर गहनता से मनन किया। तहसीलदार सहाड़ा की मौका रिपोर्ट से भी जाहिर आया कि प्रार्थीया द्वारा ग्राम पोटलां के आराजी संख्या 671 / 2 रकबा 0.1788 हे0 में से रास्ता चाहा गया है जिसमें पगडंडीनुमा रास्ता बना हुआ है। उक्त रास्ते हेतु आराजी नं0 671 / 2 रकबा 0.1788 में से 0.0050 हे0 भूमि प्रभावित होती है, प्रार्थीया की आराजी संख्या 669 में आने जाने हेतु 15 फिट चौड़ाई का रास्ता विपक्षीया की खातेदारी आराजी नं0 671 / 2 रकबा 0.1788 हे0 में से में से 0.0050 हे0 भूमि रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीया का प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी एक्ट का रास्ते के एवज में भूमि दिये जाने बाबत् स्वीकार किया जाता है। विपक्षीया की ग्राम पोटलां के आराजी संख्या 671 / 2 रकबा 0.1788 हे0 में से 0.0050 हे0 भूमि रास्ते हेतु बनती है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0दर 86,63,586 / – है। उक्तानुसार रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि का Govt. Of Rajasthan Revenue (Gr-6) Department के परिपत्र NOF 3(2)Rev.6/03/pt./7 Date 02-03-2012 के अनुसार डी0एल0सी0दर से मालीयत मालियत 43418 / – रूपये होती है जिसकी दुगुनी राशि 86836 / – रूपये प्रार्थीया विपक्षी संख्या 1 को भुगतान करने के पश्चात उक्त आराजी नं0 671 / 2 रकबा 0.1788 हे0 भूमि में से 0.0050 हैक्ट. भुमि को बिलानाम में गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सहाड़ा द्वारा प्रार्थी से राशि 86836 / – रूपये प्रार्थीया से वसुल कर विपक्षीगण संख्या 1 को जरिये नोटिस सूचित करा राशि उपलब्ध करावें विपक्षीगण द्वारा राशि प्राप्त नहीं करने पर उक्त राशि नियमानुसार राजकोष में जमा करवाई जाकर ग्राम पोटला पटवार हल्का पोटलां की आराजी संख्या 669 में आने जाने के लिए 15फीट चौड़ा रास्ता यानी विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 671 / 2 में से 0.0050 हे0 भूमि मौके पर्चे में वर्णितानुसार बिलानाम गै0मु0 रास्ता दर्ज अभिलेख करें तथा तदनुसार नक्शें में तरमिम की जावें। पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.22 16:35:11 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

उप खण्ड अधिकारी गंगापुर (भीलवाड़ा)

Scanned by CamScanner